INDIA NON JUDICIAL

७५०रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर.

3

स्टाम्प रूपये 6305=00

प्रिमियम रूपये 6304=00

लीजरेंट रूपये 177=00

मेकेनिक नगर योजना क्रमांक 54 में प्लाट की लीज का अनुबंध

जावक क्रमांक: 822

दिनांक: 12 SEP 1989

प्लाट लीज पर लेने वाले रमेश देसाई इन्दौर तर्फे मालिक श्री रमेश देसाई इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर को लिख देता हूं कि योजना क्रमांक 54 में के मेकेनिक नगर क्षेत्र का (पूर्व बाजू 16'76 एवं दक्षिण बाजू - 13'26 है) प्लाट नम्बर 2 ए की लम्बाई 15.01 मीटर, चौड़ाई 9.75 मीटर कुल क्षेत्रफल 146.34 वर्गमीटर है। यह भूखण्ड हमें 30 साल की लॉग लीज पर आटो मेकेनिक से संबंधित व्यवसाय हेतु दिया गया है। भूखण्ड की चतु:सीमा नीचे लिखे मुजब है। :-

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

......2

750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५०रु. Rs.750

सत्यमेव जयते
भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

चतुःसीमा

पूर्व	भूखण्ड क्रमांक 2 यो.क्र. 54 मेकेनिक नगर
पश्चिम	भूखण्ड क्रमांक 3 यो.क्र. 54 मेकेनिक नगर
उत्तर	न्यू देवास रोड़
दक्षिण	3.05 मीटर बेक लॉईन

उक्त चतुःसीमा के बीच 146. 34 वर्गमीटर भूखण्ड के लिये लीजरेंट का आकार रूपये 11.25 प्रति 100 वर्गफुट प्रतिवर्ष की दर से रूपये 177=00 {अक्षरी रूपये एक सौ सितोत्तर मात्र} होता है। लीज पर दिये गये इस भूखण्ड का प्रिमियम 4.00 {चार रूपये} प्रति वर्गफुट के हिसाब से रूपये 6304=00 {अक्षरी रूपये छः हजार तीन सौ चार} होता है। यह भूखण्ड नीचे लिखी हुई शर्तों पर हमें लेना स्वीकार है। लीज गृहिता द्वारा प्रिमियम एवं चालू वर्ष तक की लीज जमा करा दी गई है।

शर्ते

1. उपरोक्त भूखण्ड 30 वर्ष की लीज पर रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

.......3

750 Rs.

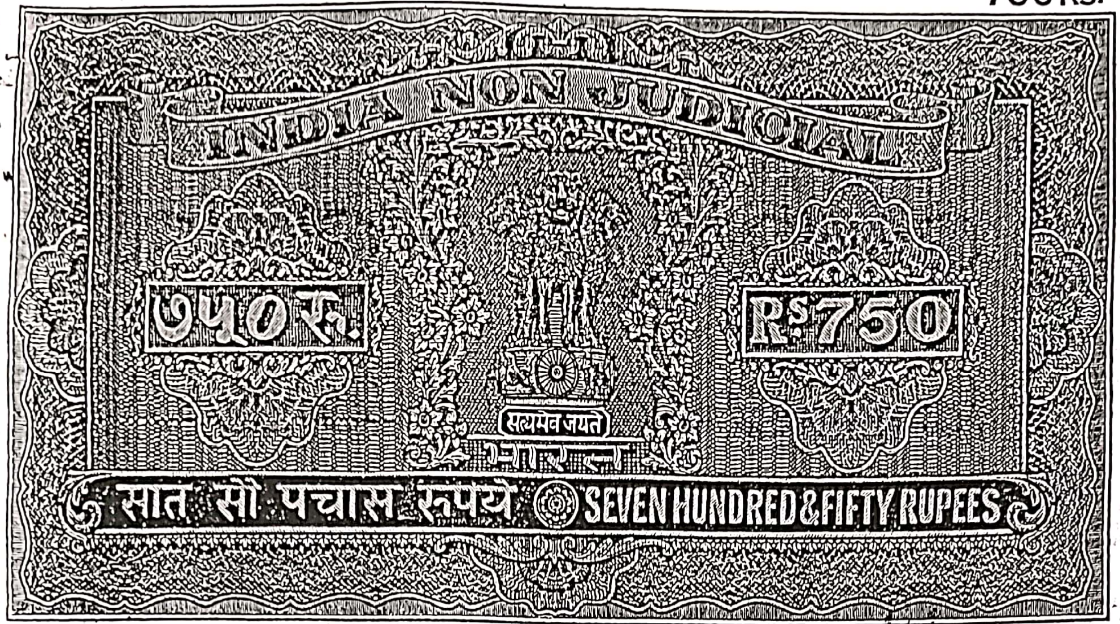

2. लीज के अन्तर्गत प्राप्त भूखण्ड का प्रिमियम रूपये 4.00 प्रतिवर्गफुट के हिसाब से देय होगा ।

3. भूखण्ड का लीजरेन्ट रूपये 11.25 प्रति 100 वर्गफुट के हिसाब से प्रतिवर्ष अग्रिम देय होगा ।

4. सदर भूखण्ड का लीजरेंट हर वर्ष अग्रिम जमा करना आवश्यक होगा अर्थात हर वर्ष 1 जून में उक्त वर्ष का लीजरेंट देय हो जावेगा तथा 30 जून तक जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा ब्याज देय होगा ।

5. सदर भूखण्ड के बाबद लीजरेंट अथवा अन्य कोई धनराशि यदि 3 माह से अधिक अवधि तक बकाया रही तो प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह लीज समाप्त कर दें अथवा भू-आगम की वसूली के अनुसार बकाया रकम की वसूली करें ।

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

........4

750Rs.

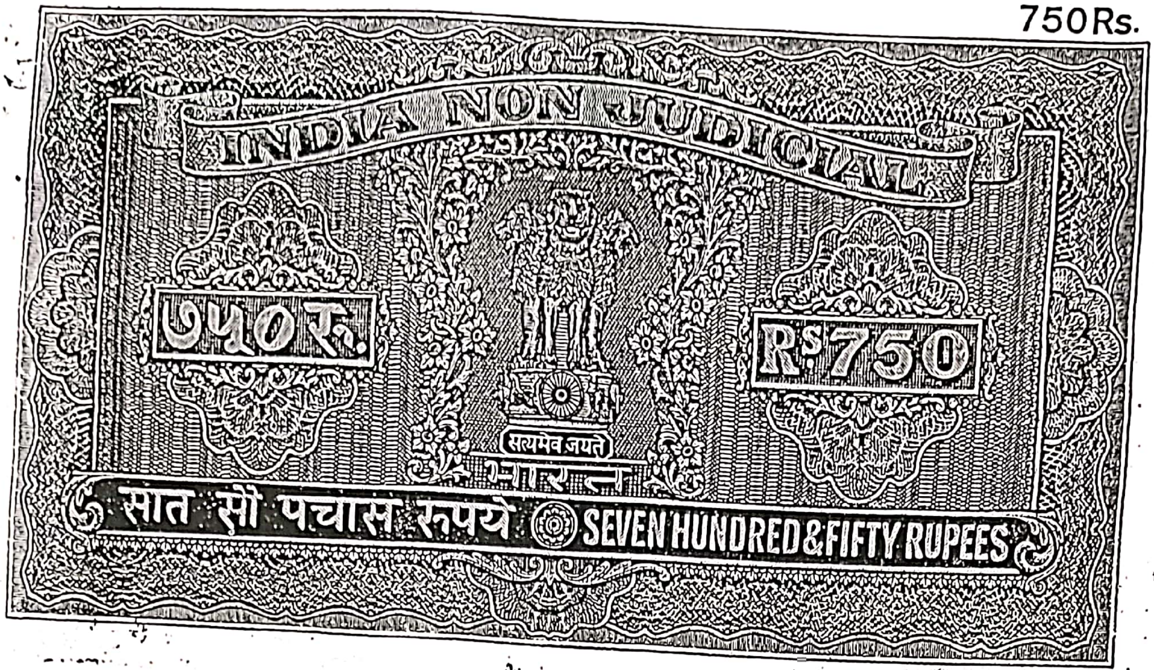

6. सदर भूखण्ड पर कोई भी निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा । यदि बिना अनुमति कोई कार्य किया गया तो प्राधिकारी को अधिकार रहेगा कि वो उसे तुड़वा देवे ।

7. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे मुजब ही सदर भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जावेगा । स्वीकृत नक्शे के खिलाफ किया हुआ प्रत्येक कार्य अवैधानिक होगा और उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का प्राधिकारी को उपरोक्त शर्त क्रमांक 6 के अनुसार अधिकार होगा ।

8. सदर भूखण्ड लीजगृहिता को उसका व्यवसाय—ऑटोमोबाईल—का अथवा उससे संबंधित होने के आधार पर दिया गया है । यदि लीजगृहिता अपना उक्त धंधा छोड़ दे अथवा प्रभावपूर्ण रूप से अपना उक्त धन्धा बंद कर देवे तो ऐसी हालत में लीज स्वयमेव समाप्त हो जावेगी तथा प्राधिकारी लीजगृहिता को ~~छर्छ~~ निष्कासित करके भूखण्ड पर अधिकार कर सकेगा ।

........5

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

750Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५०रु.

Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

9. यह भूखण्ड जब तक उस पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार से बेचने अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार लीजगृहिता को नहीं होगा। भूखण्ड गिरवी रखना आवश्यक हो तो उसके लिये इजाजत दी जावेगी परन्तु प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा करने का भार उस पर सर्वोपरी रहेगा। अनाधिकृत रूप से अंतरण किये जाने पर अथवा अन्य कोई अनाधिकृत कार्यवाही करने पर लीज स्वयमेव निरस्तहो जावेगी और प्राधिकारी लीजगृहिता को निष्कासित करके भूखण्ड पर अधिकार कर सकेगा। यदि लीजगृहिता भूखण्ड पर निर्माण कार्य सम्पन्न हो जाने पर निर्मित भवन को या उसके किसी भी भाग को अन्य किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी को अंतरित करना चाहे तो उसे प्राधिकारी की अनुमति लेना होगी। प्राधिकारी की अनुमति तभी दी जा सकेगी जबकि प्रस्तावित नवीन लीजगृहिता भी वास्तविक रूप से या उससे संबंधित व्यवसाय करने वाला हो, इस शर्त का उल्लंघन होने पर लीज समाप्त कर भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन पर प्राधिकारी अधिकार प्राप्त कर सकेगा।

........6

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रू. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

10. सदर भूखण्ड पर निर्माण कार्य भूमि का कब्जा मिलने के 6 माह की समयावधि में प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष की अवधि में समाप्त कर लिया जाय इस अवधि में अथवा विशेष अनुमति द्वारा बढ़ाई गई अवधि में निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं किया गया तो प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह लीज समाप्त कर दें तथा भूखण्ड का कब्जा वापस प्राप्त कर लें।

11. भूखण्ड का कब्जा मिलने के तुरन्त बाद अथवा ऐसी अवधि के अन्दर जितकी प्राधिकारी अनुमति दे लीजगृहीता के लिये आवश्यक होगा कि वह अस्थाई अथवा अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था करके अपनी दुकान पुराने स्थान से हटाकर प्लाट क्रमांक---2 A----पर कायम करदे अगर ऐसा नहीं किया गया तो लीज स्वयमेव निरस्त हो जावेगी तथा प्राधिकारी को अधिकार होगा कि भूखण्ड को अपने कब्जे में कर लें।

.......7

सम्पदा अधिकारी,
इंदौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

750 Rs.

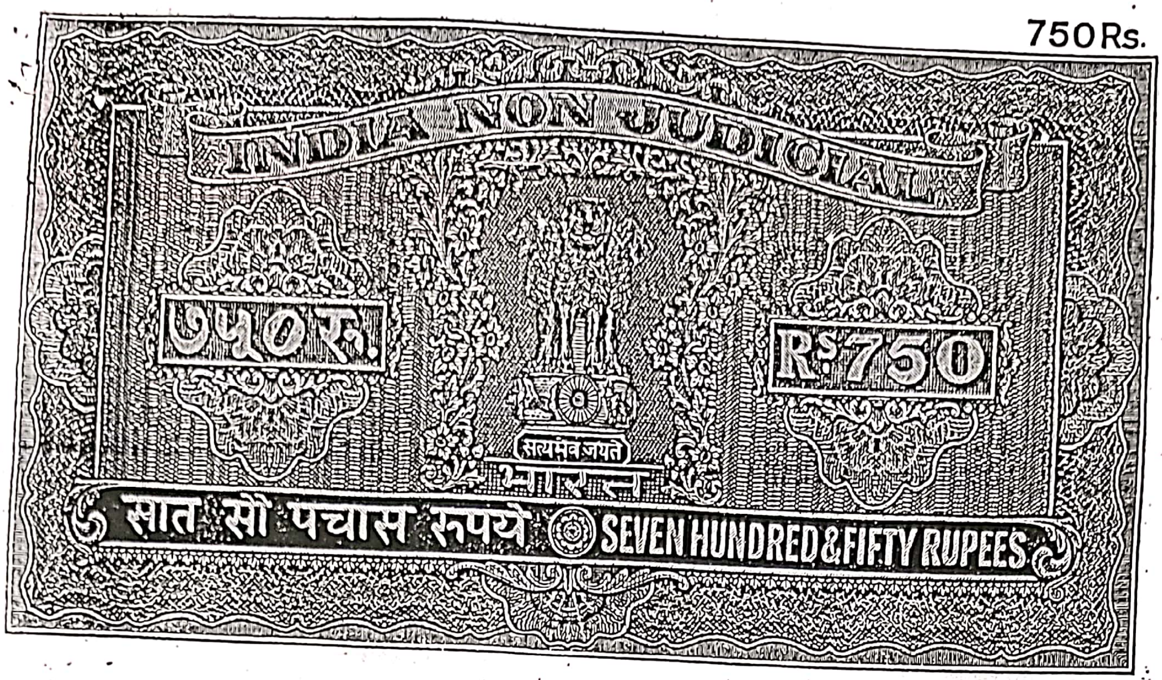

12. उपरोक्तानुसार सदर भूखण्ड में दुकान अंतरित करने पर इन्दौर शहर में इसके पूर्व जहां भी दुकान हो वह जगह लीजगृहिता द्वारा खाली करना आवश्यक होगा तथा वहां का विद्युत संयोजन विच्छेद करना होगा इस प्रकार खाली किये गये स्थल पर बाद में----ऑटोमोबाईल----से संबंधित सामान नहीं रखा जा सकेगा । यदि इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्लाट क्रमांक---2 A----की लीज स्वयमेव निरस्त हो जावेगी तथा प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्लाट क्रमांक---2 A---को अपने कब्जे में कर लें । और पूर्व दुकान का विद्युत संयोजन विच्छेद करने की आवश्यक कार्यवाही करें ।

13. सदर भूखण्ड के उपयोग के बाबद जो भी रकम प्राधिकारी को लीजगृहिता की ओर से लेना निकलेगी वह रकम लीजगृहिता यदि कार्यालय में जमा नहीं करे तो वह भू-आगम की वसूली के अनुसार उससे वसूल करने योग्य होगी ।

14. सदर भूखण्ड पर अथवा उस पर बने हुए भवन पर शासन अथवा ~~[illegible]~~ है नगर पालिक निगम द्वारा जो भी टेक्सेस समय समय पर लगाये जावेगे उनके भुगतान की जिम्मेदारी लीजगृहिता की होगी ।

........8

संपदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.

Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

15. उपरोक्त लीजडीड में जहाँ जहाँ प्राधिकारी अथवा इन्दौर विकास प्राधिकारी का उद्धरण किया गया है उसमें इन्दौर विकास प्राधिकारी के उत्तराधिकारी का समावेश माना गया है ।

16. उपरोक्त शर्तों के अलावा प्राधिकारी अथवा शासन द्वारा भूखण्ड के बाबद समय समय पर जो शर्तें बनाई जावेगी वे लीजगृहिता पर बंधनकारक रहेगी ।

17. उपरोक्त शर्तों में कि किसी भी शर्त का उल्लघंन होने पर लीज निरस्त की जावेगी एवं प्रिमियम हेतु जमा रकम में से 20 प्रतिशत रकम काटकर शेष रकम भूखण्डधारी को वापस लौटाई जा सकेगी ।

..........9

सम्पदा अधिकारी,
इंदौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

200Rs.

/9/

18. सदर भूखण्ड का लीजडीड रजिस्टर्ड होने के पश्चात उसकी फोटो कापी 30 दिन के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी ।

उक्त 30 वर्ष की लीज का अनुबंध मैंने राजी-खुशी से बिना किसी प्रकार का नशा-पानी किये ठीक होश हवास में लिख दिया एवं इसमें लिखी हुई शर्तें स्वीकार होने से उस पर हस्ताक्षर किये ताकि सनद रहे ।

साक्ष्यः-

1. [illegible] पटेल ....

[illegible] भाई पटेल
10. [illegible] इन्दौर.

Ramesh 14/9/89
हस्ताक्षर लीजगृहिता,

2. [illegible] ....

महेशकुमार [illegible]
[illegible]
इन्दौर

हस्ताक्षर पट्टादाता,

[illegible]

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

Ramesh

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पुरविणी स्टाम्पे

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

पुरवणी स्टाम्प

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

मध्यप्रदेश वित्त निगम
MADHYA PRADESH FINANCIAL CORPORATION
(INCORPORATED UNDER STATE FINANCIAL CORPORATION, 1951)
(NO. LXIII OF 1951)
31, Dilip Singh Colony, Pologround, Indore. Phone : 0731-2423893

Date 12/2/2016

Ref. : MPFC/BDC/294/2015-2016

मेसर्स विकास मोटर्स
71, एल डी-3
स्कीम नं. 78
इन्दौर

विषय :- मूलदस्तावेज वापिस करने बाबद

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके द्वारा निगम से ऋण प्राप्त किया गया था जो कि पूर्ण रूप से चुकता कर दिया गया है मूलदस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार से है:-

1. विक्रय विलेख क्रमांक 6003 ग दि. 19/2/200
2. —do— क्रमांक 4145 घ दि 5/3/1997
3. —do— क्रमांक 1415 ख दि. 10/11/1989

Encl: a/a,

भवदीय

शाखा प्रबंधक

Scanned with OKEN Scanner